

द्वितीय उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलक्टर धोरीमन्ना-बाड़मेर

उनवान: केलीदेवी बनाम जानी

प्रा०पत्रसं० 70/2025

GCMS 2025/२००

किस्म मुकदमा:- राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज आदेशिका

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील में  
जारी हुए।

तारीख हुकम

27.06.2025

वादी के वकील श्री हापूराम ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जो बाद जांच दर्ज होकर दर्ज रजिस्टर होकर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन रजिस्टर्ड एडी से तलब होकर पत्रावली प्रतिवादीगण की तलबी का इंतजार होकर आज पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। पत्रावली प्रतिवादीगण की तलबी का इंतजार होकर आईन्दा दिनांक 05.08.2025 को पेश हो।



(भागीरथराम)  
सहायक कलक्टर  
धोरीमन्ना

01.7.25

वादीनी के प्रार्थन-पत्र पर पत्रावली आज पेश हुई। वादीनी ने एक प्रार्थन पत्र राजस्व वाद विद्दी करने का पेश कर निवेदन किया कि पश्काशन के मध्य आपकी राजीनाम हो चुका है तथा वाद को आगे नहीं चलाना चाहती है। राजस्व वाद को बली स्तर पर विद्दी करवाना चाहती है।

अतः वादीनी के प्रार्थन-पत्र को स्वीकार किया जाकर राजस्व वाद को विद्दी किया जाकर खावेन किया जाता है। पत्रावली बाद विद्दी आवेन फेलात शुमार होकर बाबिल रफतर हो।

सहायक कलक्टर  
SDO धोरीमन्ना

